विविध **बैंक प्रकरण संख्या 05/2022(GCMS : 2022/9) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा पदमपुर** जरिये निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम 1. मैसर्स राज गारमेंट्स** – प्रो. राज कुमार वधवा पुत्र सुभाष चंद्र निवासी वार्ड नं. 08, नजदीक बाबा रामदेव मंदिर, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 29, गली नं. 03, शिव कॉलोनी, श्रीगंगानगर **2. बिमला रानी** पत्नी किशन लला निवासी मकान नं. 29, गली नं. 03, शिव कॉलोनी, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स राज गारमेंटस – प्रो. राज कुमार वधवा एवं बिमला रानी द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बिमला रानी की रिहायशी **सम्पत्ति मुरब्बा नं. 18/19, किल्ला नं. 19, चक 3 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 15' गुणा 45' = 675 वर्गफीट) एवं दृष्टिबंधक स्टॉक का भौतिक** कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि ऋणी द्वारा बकाया राशि बैंक में जमा करवा दी है, इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 07.01.2022 को एक प्रार्थना पत्र पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में आन्ध्रा बैंक) द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में आन्ध्रा बैंक) को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:33 IST
Reason: SelfAttested